न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 94 / 2021

1 उमेश केडिया पुत्र गोविन्दराम केडिया।
2 राकेश केडिया पुत्र गोविन्दराम केडिया समस्त जाति महाजन निवासीगण वार्ड नम्बर 32 कस्बा पिलानी तहसील सुरजगड़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
सुरजगढ़ जिला झुंझुनू मुकदमा उनवानी राजस्थान
सरकार बनाम उमेश केडिया वगैरह मुकदमा नम्बर
358 / 2021 अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट 1955
निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2021

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 13.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 358/2021 में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सुरजगढ़ द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1678/743 वाके कस्बा पिलानी का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार सुरजगढ़ को सुनकर विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि को राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश दिये है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को सम्यक तामील नही हुई है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेंट की साक्ष्य को भी साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सत्यापित नही करवाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय धारा 177 की परिधि में नही आता है। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा वादी तहसीलदार सुरजगढ़ के वाद में विधिक प्रकिया अनुसार तहसील, ग्राम पंचायत, नगरपालिका में नोटिस चस्पा कर सम्यक तामील मानते हुये विधि अनुसार कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करना पुष्ट होने पर विचाराधीन निर्णय से विवादित भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश दिये है। इनमें कोई विधिक त्रुटि नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

3

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में अपीलांट को सम्यक तामील नही हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को व्यक्तिशः तामील जारी नही कर नगरपालिका, ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तामील नोटिस चस्पा कर तामील पर्याप्त मान ली है। विधि अनुसार विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेंट की साक्ष्य को भी साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सत्यापित नही करवाया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई धारा 177 के विधिक प्रावधानों की पालना में प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.01.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर